[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 04/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां, कि कोरिया गणराज्य, ताईवान और सऊदी अरब में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात पर कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015, जिसे सा.का.नि. 110(अ) दिनांक 18 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाये गये और ताईवान और सऊदी अरब में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015, जिसे सा.का.नि. 293(अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/9/2019-डीजीटीआर, 07 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 07 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है), के नियम 23 के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समीक्षा का कार्य शुरू किया है और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात पर लग रहे प्रतिपाटन शुल्क को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार 15 अप्रैल, 2020 तक जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015, जिसे सा.का.नि. 110(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 में और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अन्तः स्थापित किया जाएगाः-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 15 अप्रैल, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, जारी रहेगा।"

[फाइल संख्या 354/10/2008-टीआरयू (पीटी. II)]

(गौरव सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार